

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: seiaacg@gmail.com

क्र. / एस.ई.ए.सी., छ.ग. / मीटिंग / 2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक / / 2019
प्रति,

- | | |
|--|---|
| 1 डॉ. मोहन लाल अग्रवाल,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सिविल
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सरकारी
इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर
(छ.ग.) | 2 श्री अरविन्द कुमार गौरहा,
207, चंद्रपार्क, वृहस्पत बाजार,
बिलासपुर (छ.ग.) 495 001 |
| 3 श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू,
प्लॉट सं. 20, प्रियंका नगर, रिसाली
सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
490 006 | 4 डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान,
प्रोफेसर, जियोलॉजी, पंडित
रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर
(छ.ग.) |
| 5 डॉ. विकास कुमार जैन,
एसोसियेट प्रोफेसर, रसायन विभाग,
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज,
रायपुर (छ.ग.) | 6 डॉ. दीपक सिन्हा,
असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन, गवर्नमेंट
नागार्जुन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज
ऑफ साइंस, रायपुर (छ.ग.) |

विषय: राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 302वीं बैठक का आयोजन।

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 302वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 10/12/2019 को प्रातः 11:00 बजे नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-19 में स्थित पर्यावास भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक का एजेण्डा संलग्न है।

कृपया नियत तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
संलग्न: यथोपरि।

o/L

सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

क्र. 1168 / एस.ई.ए.सी., छ.ग. / मीटिंग / 2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/12/2019
प्रतिलिपि:-

श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़, प्लॉट नं. 257/2, बसंत विहार (फेज-II), चकराता रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248 006 की ओर बैठक के एजेण्डा नोट की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

o/L

सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 302वीं बैठक
स्थान :- पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

दिनांक - 10/12/2019

प्रातः 11:00 बजे

1	एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-1	दिनांक 09/12/2019 को संपन्न 301वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
2	एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2	परिशिष्ट-1 अनुसार गौण / मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।
3	एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-3	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय